XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)



छत्तीसगढ़ शासन

## समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

лиів 14698

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिला शिक्षण स्विति जो स्वित के स्वित है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रिजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 6 | 6 | 2011 को पंजीयित की गई है।

दिनांक ..... हर: माह .... सन् 2011





छत्तीसगढ़ै CHHATTISGARH



19AA 249474

वं उपी दि। छूठा समिति धुरमें 2 वं क्र. 14698 शिरोका! - 06/06/2012

अप्रय चौबे) सहायक पजीयक कर्म एवं संस्थाएँ बिलासपुर कर्

## कार्यालय सहायक पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐ बिलासपुर न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग कलेक्टर परिसर बिलासपुर

दूरभाष-07752-250777

कमांक / 14698 / 06.06.2011 / 622 / 2023

बिलासपुर दिनांक 10 | 01 | 2023

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव बंजारी शिक्षण समिति पुसौर बोरो डिपा चौक जिला — रायगढ़ (छ०ग०)।

विषय:-संदर्भ :- अधिनियम की धारा 27/28 के सबंध में ।

समिति की ओर से जानकारी प्रस्तुत दिनांक 13/09/2022

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत बंजारी शिक्षण समिति पुसौर बोरो डिपा चौक जिला — रायगढ़ (छ०ग०)। पंजीयन क्रमांक 14698 दिनांक 06/06/2011 पर पंजीकृत समिति है। जिस पर छत्तीसगढ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित 1998 के समस्त प्रावधान प्रभावशील है।

संस्था द्वारा एकजाई वर्ष 2022 की जानकारी में वार्षिक आमसभा बैठक दिनांक 22/12/2022 की जानकारी नियत प्रारूप पर चालान राशि 22880/—कमांक 111 दिनांक 13.09.2022 को कार्यालय में दिनांक 13/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है । उक्त जानकारी के साथ प्रस्तुत संलग्न कार्यकारणी सूची में निम्नलिखित पदाधिकारीयों एवं सदस्यों के नामों का उल्लेख है :-

कमांक	पदाधिकारी का नाम	पद
1	श्री दुष्यंत कुमार प्रधान (६)	अध्यक्ष
2	श्री बलराम साव	उपाध्यक्ष
3	श्री ऋषि कुमार	सचिव
4	श्री कमल कुमार गुप्ता	कोषाध्यक्ष
5	श्री प्रदयुम्न देहरी	संयु0 सचिव
6	श्री सरोज प्रधान	सदस्य
7	श्री अवधेश प्रधान	सदस्य

(अफ्रक्या चौषे)) सहायक प्रजीविक फर्म्स एवं संस्थारोग विलासपुर

पजीयन क्रमांक 14698 पंजीयन दिनांक ... हिं. १. ७.१ संशोधन दिनांक ..

(1)

नियमावली

संस्था का वर्षालय .... कार्रिका स्टिका समिति प्र 2-112

तहसील . पुरमार जिला ... घत्तीसगढ़ स्थित होगा ।

संस्था के र (देश्य निम्नलिखित होगें :-

1.

2.

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित हैं वही लिखे )

।) बच्चां के खंदर हुने हमें मानतिक, वारितिक, मेतिक और अध्यातिक

। माउद माउद में जिल्ही

2.) केट्यों की सेविटम का मार्क मार्गिक क्रामी

3) बन्ती के जीरमें हह का मार्थिक को खारी सामा

भ) सिमार्त का हर एक जार्स करतों के मिला के निर्माण के निर्माण

हामा।

5) कर्या के खेत में मास्मम से मिका अपन करता

6) उन्न स्मिश्चा के अधि हालों के खांहर हेश असी पैरा काला।

(5) सदस्यता अभा के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे :--

(अ) रारक्षण र स्य – संस्था को दान के रूप रूपये <u>5000</u> या अधिक एकमुश्त या एक साल में 12 किस्तों में देगा वह स**ित का संरक्षक सदस्य होगा** ।

(ब) आजीवन सदस्य — जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये .5000.... या उससे अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन अकेगा। कोई भी आजीवन सस्य रूपये .2000. या उससे अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता हैं।

सचिव

77 3 TUD 25

पंजीयन दिनांक ... 6.1. (द) सम्भागीय अदस्य – संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समाय के लिए समझें सम्मतीय सदस्य बना सकता हैं ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाषासिट देने का अलेकार नही होगा ।

- सदस्यता को प्राप्ति :- प्रत्येक व्यक्ति जो की समिति का सदस्य बनने के इच्छुक हो निखित रूप में आवेदन करना (6)होगा ऐंसा वावेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।
- सदस्यों की योग्यता :- संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैं :-(7) भारतीय नागरिक हो 2.
  - सद्चरित्र हो तथा मदपान न करता हो। 3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो 4.
- सदस्यता र । समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी :-(8)
  - 1. मृत्यु ह जाने पर 2 पागल हो जाने पर । 3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम (5) में बताये अनुसार जमा न करने पर । 4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर 5. चरित्र दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुास : निकाल दियें जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा ।

संस्था कार लय में सदस्य पूँजी रखी जावेगी जिसमे निम्न व्यौरे दर्ज किये जावेगें :-

भेक भदस्य का नाम , पता तथा व्यवसाय तथा तिथि सहित हस्ताक्षर ।

व ति कि जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं. ।

ख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो ।

1. आयु 1 वर्ष से कम न हो

(10) (अ) साधारण समा :- साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुर र हुआ करेंगी । परन्तु वर्ष में एक एक बार बैठक अनिवार्य होगी जिसका माह अपिट होगा । बैठक का माह तथा बैठः का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोर 3/5 सदस्यों को होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनाक से 3 माह के अन्दर बुलाई जावेगी । उसमें संस्थ के पदाधिकारीयों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा , यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था कि आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में १ । पदाधिकारीयों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) प्रबंधका िंगी समा :- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्ड़ा तथा सूचना बैठक दिनांक के सात दिन 🤞 कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों को होगी यिदि बैठक र । कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक 1 घण्टें के लिए स्थिगित कर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः कि जा

सकेगी जिसवं लिए कोरम कि कोई शर्त न होगी ।

The State of the S

वंजीयन क्रमांक 6.1.61.1.4 वंजीयन हिनांक 6.1.61.1.4

(स) विशेष :- ादि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या) के 2/3 सद्धस्यों होरा लिखित क्यों के बुलाने हे आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिये साधारण्डसमी की बैठक हुन् हुन् यो जावेगी। विशेष साल्य पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जीने के दिनांक से 14 दिन के गातर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार रहेगा।

## (11) साधार । समा के अधिकार व कर्तव्य :--

- (क) संस्था के विछले वर्ष का वाषिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
- (ख) संस्था की रथायी निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
- (ग) आगामी व के लिये लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना।
- '(घ) अन्य ऐसे । वषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
- (छ) वजट का अनुमोदन करना ।
- (12) प्रबंधकारिणी का गठन :— ट्ररटीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे , नियम 5 (अ,ब,स,) में दर्शाये गये सदस्यों । निके नाम पंजीयन रिजस्टर में दर्ज हैं, बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नाकित पदाधिकारीयों तथा प्रबंध कारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष

- (3) स्चिव (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य
- (13) प्रबंध सा ति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ठ कारण होने पर उस

जुके की र्ं प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता , करती रहेगी किन्तु उक्त अर्ो 6 माह से अधिक नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।


अप जिल सद : श्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था '

- (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रतित करना होगा।
- (स) समिति एर उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चलं – अाल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
- (द) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।
- (इ) अन्य आवश् ।क कार्य करना , जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जांए।
- (च) संस्था की ामस्त चल अचल संपत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।
- (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति , रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना बिक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं कर सकते।
- (15) अध्यक्ष के अधिकार :- अध्यक्ष सार्धरणय सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा भंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयानात क होगा।

2-11-210

की वीच्यह

जिणवानार के होगा।



(5)

(25) बैंक खाता :- रांस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में डाला जावेगा । एवं समय - समय पर धन जगा करने निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

(26) पंजीयक द्वारा रेठक बुलाना :- संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारीयों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलायें जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह

बैठक में विवासर्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(27) विवाद :— संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमित से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि अ निश्चत या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो रिजस्ट्रार की और विवाद के निर्णय के लिये भेज सक्षेत्र का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंधन समिति के विवाद स्वान होने रे अंतिम निर्णय देने का अधिकार रिजस्ट्रार का होगा।

(28) अथिद द विष्य । नः

(क) जो सद्देश का कि वन्दे की रकम उस वर्ष में नियमानुसार जमा नहीं करेगा तो उसको वर्ष समाप्ति के तीन माह के अंदर चन्दे की रकम अदा करने पर 30 प्रतिशत अधिक रकम के साथ अदा करनी पड़ेगी।

(ख) जो सदस्य मा। क चन्दे की रकम को निश्चित अवधी में अदा नहीं करेगा तो उसको तीन माह के अंदर 25 प्रतिशत अधिक रकम व साथ अदा करना होगा ।

(ग) वार्षिक या मारि क चन्दा देने वाला कोई व्यक्ति यदि छः माह तक निश्चित अवधी के बाद लगातार चन्दा नहीं दें तो ऐसे व्यक्ति को कार कारिणी द्वारा सदस्यता से निष्कासित किया जा सकता हैं।

(घ) सदस्य द्वारा निक्वत अवधी के पश्चात लगातार छः माह तक चन्दा नहीं देने पर ऐसे सदस्य को प्रबंधकारिणी द्वारा एक नोटिश दिया करोगा। उक्त नोटिस के जवाब आने पर प्रबंधकारिणी उस पर विचार करके उक्त सदस्य का नाम काटने की निर्णय करें ।। यदि नोटिस का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो तो भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

(इ) प्रबंधकारिणी के अनुचित प्रमाण मिलने पर जांच करने. पर यह संतोष हो जाये की कोई सदस्य समिति के उद्देश्यों के विपरीत कार्य र रहा है या नियमों का पालन नहीं कर रहा है या समिति के संपत्ति को हानि पहुंचा रहा हो या अन्य प्रकार के ऐसे ार्य कर रहा है जो समिति को किसी प्रकार से हानिकारक हो, तो ऐसी स्थिति में सदस्य को सदस्यता समाप्त करने व सबंध में प्रस्ताव-साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों की तीन पंचमांश के बहुमत से स्वीकृत होना आवश्यक होगा

प्रमाणेत प्रति

250 हारतन है. (3535) प्र देनांक दिलिंग है कि हारत कि का प्राप्त है कर पंजीयन के क्ष्य विश्वित देनांक ...... हारा पंजीवन के संस्था की मूल दस्तावेज की प्रभावित प्रतियां जारी होने कर प्रिं

म्प्य में विलामपुर (ज्ञानिय)

BI WIEZTEH

Short 21



छत्तीसगढ़ CHHATTISGAR



(अञ्च जीव) सहस्रक पंजीयक संस्थार, विज्ञानपुर (छ.स.) 06AA 501482

R- 14698

अंत्रारी शिक्षण सिमीती पुष्ठीयः मिला रायगः अनु छ . ३१८ विकास पादामा स्टा.की. १०
केला मारफा में पान में पान स्टामा संक्ष्मकार के पदाकार
प्रकोजन संक्ष्मकार
प्रकोजन स्टाप्ट मूल्य (०) = 10

दिः Knan र क्यान्य कुमार नान्ते क्टाम्प वंडर, पुसीर